न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या 30/19 | तारीख दायरा 08.03.2019 | तारीख फैसला 21/10/2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

1. नन्दलाल आत्मज कवरिया
2. राजेन्द्र आत्मज कवरिया
3. मनभर पुत्री कवरिया
4. दाखा पुत्री कवरिया
5. हजारी पुत्री कवरिया
6. बरजी पुत्री कवरिया
7. जानकी पुत्री कवरिया जाति मेघवाल निवासीगण कुनेठिया हाल निवासी कापरेन मेघवालों का मौहल्ला तहसील के० पाटन जिला बूंदी

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

उपस्थित – श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम कुनेठिया तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीगण के खातें में ख0नं0 185 रकबा 0.48 हे0, ख0नं0 193 रकबा 0.47 हे0, ख0नं0 305 रकबा 0.71 हे0, ख0नं0 306 रकबा 0.94 हे0, ख0नं0 307 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 317 रकबा 1.51 हे0, ख0नं0 325 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 356 रकबा 0.69 हे0, ख0नं0 65 रकबा 0.94 हे0, ख0नं0 66 रकबा 0. 06 हे0, ख0नं0 67 रकबा 1.40 हे0, ख0नं0 68 रकबा 1.56 हे0, ख0नं0 69 रकबा 0.82 हे0, ख0नं0 73 रकबा 0.82 हे0 कुल किता 14 रकबा 11.16 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादीगण की जाति चमार अंकित है। वादीगण की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार दर्ज है। जबकि वादीगण के समस्त दस्तावेजों में जाति मेघवाल दर्ज है। वादीगण की दस्तावेजों के आधार पर अपनी जाति दुरूस्त करानें का कानूनन अधिकार है। वादीगण की जाति मेघवाल के स्थान पर चमार दर्ज कर दिया है जो बोलनें में अभद्र व अपभ्रन्श व असम्मानजनक है। उपरोक्त कारण से राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 05.02.2019 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी की जाति दुरूस्त नहीं करनें पर पैदा हुआ।

Scanned by CamScanner

वाद पेश कर वादीगण ने निवेदन किया है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि— ग्राम कुनेठिया तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित आराजी ख0नं0 185 रकबा 0.48 हे0, ख0नं0 193 रकबा 0.47 हे0, ख0नं0 305 रकबा 0.71 हे0, ख0नं0 306 रकबा 0.94 हे0, ख0नं0 307 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 317 रकबा 1.51 हे0, ख0नं0 325 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 356 रकबा 0.69 हे0, ख0नं0 65 रकबा 0.94 हे0, ख0नं0 66 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 67 रकबा 1.40 हे0, ख0नं0 68 रकबा 1.56 हे0, ख0नं0 69 रकबा 0.82 हे0, ख0नं0 73 रकबा 0.82 हे0 कुल किता 14 रकबा 11.16 हे0 भूमि में वादीगण की जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जानें व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। प्रतिवादी को ओदेशित किया जावें कि उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावें। अन्य सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावें।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये—

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम कुनेठिया सं0 2070—73 खाता नं0 79
2. छायाप्रति प्रमाण पत्र कार्यालय नगर पालिका मण्डल कापरेन दिनांक 05.03.19
3. छायाप्रति जाति प्रमाण पत्र कार्यालय नायब तहसीलदार काप्रेन जिला बूंदी
4. छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र कंवरलाल दिनांक 26.11.12
5. छायाप्रति जाति प्रमाण राजेन्द्र कुमार पत्र दिनांक 29.01.02
6. छायाप्रति मूल निवास प्रमाण पत्र राजेन्द्र कुमार दिनांक 08.03.07
7. छायाप्रति आधार कार्ड राजेन्द्र कुमार
8. छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र राजेन्द्र कुमार
9. छायाप्रति भामाशाह कार्ड राममूर्ति पत्नी राजेन्द्र कुमार
10. छायाप्रति भामाशह कार्ड मनभर बाई पत्नी नन्दलाल

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रकरण में जवाब व पटवार हल्का रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें वादीगण की जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जानें में अनापत्ति जाहिर की गई है। उभयपक्ष को सुना गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व रिपोर्ट पटवारी एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। वादीगण की जाति विवादित आराजी में चमार दर्ज चली आ रही है, जबकि प्रस्तुत दस्तावेजात् में वादीगण की जाति मेघवाल अंकित है। राज्य सरकार द्वारा भी राजस्व रिकॉर्ड में जाति के सम्बन्ध में सुसभ्य भाषा का अंकन किये जानें के निर्देश प्रदान किये है। चूंकि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण की जाति चमार अंकित है जो सुसभ्य भाषा की श्रेणी में नहीं आती है। जिससे वादीगण की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज किया जाना उचित है।

लिहाजा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कुनेठिया तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित आराजी ख0नं0 185 रकबा 0.48 हे0, ख0नं0 193 रकबा 0.47 हे0, ख0नं0 305 रकबा 0.71 हे0, ख0नं0 306 रकबा 0.94 हे0, ख0नं0 307 रकबा 0.24

है0, ख0नं0 317 रकबा 1.51 है0, ख0नं0 325 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 356 रकबा 0.69 है0, ख0नं0 65 रकबा 0.94 है0, ख0नं0 66 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 67 रकबा 1.40 है0, ख0नं0 68 रकबा 1.56 है0, ख0नं0 69 रकबा 0.82 है0, ख0नं0 73 रकबा 0.82 है0 कुल किता 14 रकबा 11.16 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज की जावें, शेष यथावत् रहेगा। तदनुसार डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनाँक 21/10/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

अंतिम डिक्री मुकदमा
(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. नन्दलाल आत्मज कवरिया
2. राजेन्द्र आत्मज कवरिया
3. मनभर पुत्री कवरिया
4. दाखा पुत्री कवरिया
5. हजारी पुत्री कवरिया
6. बरजी पुत्री कवरिया
7. जानकी पुत्री कवरिया जाति मेघवाल निवासीगण कुनेठिया हाल निवासी कापरेन मेघवालों का मौहल्ला तहसील के0 पाटन जिला बूंदी

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर–30/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कुनेठिया तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित आराजी ख0नं0 185 रकबा 0.48 हे0, ख0नं0 193 रकबा 0.47 हे0, ख0नं0 305 रकबा 0.71 हे0, ख0नं0 306 रकबा 0.94 हे0, ख0नं0 307 रकबा 0.24 हे0, ख0नं0 317 रकबा 1.51 हे0, ख0नं0 325 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 356 रकबा 0.69 हे0, ख0नं0 65 रकबा 0.94 हे0, ख0नं0 66 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 67 रकबा 1.40 हे0, ख0नं0 68 रकबा 1.56 हे0, ख0नं0 69 रकबा 0.82 हे0, ख0नं0 73 रकबा 0.82 हे0 कुल किता 14 रकबा 11.16 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित जाति चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज की जावें, शेष यथावत् रहेगा।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 31/10/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे

Scanned by CamScanner

स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner